सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 509

सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022 (21 अग्रहायण, 1944 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानन कंपनियों द्वारा किराए में मनमानी बढ़ोतरी

509 श्री नीरज डांगीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि, विशेषकर त्योहारों के समय विमानन कंपनियाँ यात्रियों से मनमाने ढंग से किराया वसूल रही हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार को विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है और इस संबंध में किए गए उपायों सहित मौजूदा सरकारी नीति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल) (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)

(क) से (ग): प्रचलित विनियमों के अनुसार, विमान किराए सरकार द्वारा विनियमित नहीं होते हैं। वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135 के उप नियम (1) के प्रावधान के तहत, अनुसूचित हवाई सेवाओं में लगे प्रत्येक हवाई परिवहन उपक्रम को प्रचालन की लागत, सेवाओं की विशेषता, उचित लाभ और आम तौर पर प्रचलित टैरिफ सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ स्थापित करने की आवश्यकता होती है। उपरोक्त नियम के अनुपालन के अध्यधीन एयरलाइनें अपनी प्रचालन व्यवहार्यता के अनुसार उचित हवाई किराया ले सकती हैं।

एयरलाइन मूल्य निर्धारण प्रणाली कई स्तरों [बकेट या आरबीडी (आरक्षण बुकिंग डेजिग्नेटर्स)] में चलती है जो विश्व स्तर पर अपनाई जा रही कार्यप्रणाली के अनुरूप होती है। किराए बाजार, मांग, मौसम और अन्य बाजार की शक्तियों को ध्यान में रखते हुए एयरलाइनों द्वारा तय किए जाते हैं। एयरलाइनों द्वारा कम किराया बकेट बेचे जाने के कारण हवाई किराया बढ़ जाता है। कुछ एयरलाइनों ने 60 दिनों, 30 दिनों, 14 दिनों आदि की मौजूदा अग्रिम खरीद योजनाओं के अलावा एपेक्स -90 पेश किया है जिसमें अत्यधिक रियायती किरायों की पेशकश की जा रही है, जिसमें पीक सीजन के दौरान भी कम किराए पर यात्रा करना शामिल होगा। उपर्युक्त किराया संरचना एयरलाइनों द्वारा अपनी वेबसाइटों पर प्रदर्शित की गई है। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) की एक टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट है जो मासिक आधार पर कुछ मार्गों पर हवाई किराए की निगरानी करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनें उनके द्वारा घोषित सीमा के बाहर हवाई किराए नहीं वसूलती हैं। एयरलाइनों द्वारा लिया गया किराया यदि उनकी वेबसाइट पर प्रदर्शित

किराए के अनुरूप है तो यह वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135 के उप नियम (2) के दायरे में होता है।

मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरसन के साथ, टैरिफ निर्धारण को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है और एयरलाइनें, वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135 के उप-नियम (1) के प्रावधानों के तहत उचित टैरिफ तय कर सकती हैं। एयरलाइनों द्वारा कीमतें बाजार की ताकतों को ध्यान में रखते हुए तद्नुसार तय की जाती हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ परिचालन लागत, मांग, मौसम, स्थिरता आदि शामिल हैं।

नागर विमानन मंत्रालय/नागर विमानन महानिदेशालय को समय-समय पर एयरलाइनों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। एयरलाइनों द्वारा, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को अपने मासिक प्रस्तुतिकरण के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किए गए यातायात डेटा, पिछले तीन वर्षों के दौरान किराए के संबंध में प्राप्त शिकायतों का प्रतिशत अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

इस विषय में स्थापित तंत्र/मौजूदा दिशानिदेशों के अनुसार कष्टों/शिकायतों का निवारण किया जाता है। इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय ने यात्रियों को अपनी शिकायतों को दर्ज कराने और भारत में हवाई यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सुविधा देने के लिए एयर-सेवा एप्लिकेशन - एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। यात्री, शीघ्र निपटान के लिए, एयर-सेवा एप्लिकेशन पर अपनी शिकायतों की सूचना दे सकते हैं।

******

अनुबंध-I

किराए की शिकायतें (%) में			
माह	**2020**	**2021**	**2022**
जनवरी	0.0	0.0	3.4
फ़रवरी	0.0	0.0	0.6
मार्च	0.0	0.0	0.7
अप्रैल	-	0.0	12.4
मई	0.0	0.3	4.5
जून	0.0	0.0	4.0
जुलाई	0.0	0.0	1.9
अगस्त	0.0	0.0	1.3
सितंबर	0.2	0.0	2.5
अक्टूबर	0.0	13.3	0.5
नवंबर	0.0	5.8	-
दिसंबर	0.0	5.1	-

*****